न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी— श्री मनमोहन व्यास, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 — 278 / 2016 / वाद पत्र	तारीख दायर 04.03.2016	तारीख फैसला 04.07.2017

उनवान

मु0 कन्या पुत्री लादू माली पत्नि महावीर माली निवासी अरवड़ हाल माली खेड़ा तहसील फूलियाकलां

— वादिया

बनाम

1— लादू पिता देबी माली निवासी अरवड़ तहसील फूलियाकलां
2— सत्तु पिता भज्जा माली निवासी अरवड़ तहसील फूलियाकलां
3— तहसीलदार, फूलियाकलां

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—188 आर0टी0ए0

उपस्थित :— 1— श्री लालाराम गुर्जर : अधिवक्ता वादिया
2— श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

पक्षकारान द्वारा दिनांक 03.07.2017 को उपस्थित होकर प्रकरण मे राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद पत्र के पेरा नं0 3 मे वर्णित आराजीयात मे ग्राम नई अरवड़ प0म0 अरवड़ तहसील फूलियाकलां के खाता संख्या 167 आ0न0 3454 / 670 रकबा 0.17 है0 जो कि प्रतिवादी नं0 1 लादू पिता देबी माली के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अंकन कराया जावे। वाद पत्र मे अंकित शेष आराजीयात प्रतिवादी नं0 1 लादू पिता देबी माली के नाम पर यथावत रहेगी। जिसमे दोनो पक्षकारान की आपसी सहमति है। अतः पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :—

आदेश

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.07.2017 अनुसार वाद पत्र डिक्री किया जाकर वाके ग्राम नई अरवड़ प0म0 अरवड़ तहसील फूलियाकलां मे स्थित खाता संख्या 167 आ0न0 344 / 670 रकबा 0.17 है0 का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज के आदेश तहसीलदार फूलियाकलां को दिये जाते है। वाद पत्र मे अंकित शेष खातों मे दर्ज आराजीयात प्रतिवादी नं0 1 के यथावत रहेगी। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 04.07.2017 को केम्प अटल सेवा केन्द्र, फूलियाकलां पर सुनाया गया।

(मनमोहन व्यास)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला–भीलवाड़ा

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

ज उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

लास श्री मनमोहन व्यास, आर0ए0एस0

कन्या पुत्री लादू माली पत्नि महावीर माली निवासी अरवड़ हाल माली खेड़ा तहसील लियाकलां – वादिया

बनाम

– लादू पिता देबी माली निवासी अरवड़ तहसील फूलियाकलां
– सत्तु पिता भज्ज माली निवासी अरवड़ तहसील फूलियाकलां
– तहसीलदार, फूलियाकलां

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा **88–188 आर0टी0ए0**
मुकदमा नम्बर **278 / 2016 राजस्व वाद**

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ......**X**........ मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.07.2017 अनुसार वाद पत्र डिक्री किया जाकर वाके ग्राम नई अरवड़ प0म0 अरवड़ तहसील फूलियाकलां मे स्थित खाता संख्या 167 आ0न0 344 / 670 रकबा 0.17 है0 का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज के आदेश तहसीलदार फूलियाकलां को दिये जाते है। वाद पत्र मे अंकित शेष खातों मे दर्ज आराजीयात प्रतिवादी नं0 1 के यथावत रहेगी।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 07 माह 07 सन् 2017** को केम्प अटल सेवा केन्द्र फूलियाकलां पर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा